भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2440
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

बाड़मेर में स्थायी लोक अदालत

†2440. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विवादों के त्वरित समाधान के लिए बाड़मेर में एक स्थायी लोक अदालत स्थापित करने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अन्य रेगिस्तानी जिलों के लिए भी इसी प्रकार के संस्थानों की योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राजस्थान के 36 जिलों में स्थायी लोक अदालतें स्थापित की गई हैं, जिनमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सीकर, चुरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर (मेरटा सिटी) जैसे प्रमुख रेगिस्तानी जिले शामिल हैं।

इस चरण में, बाड़मेर जिले में स्थायी लोक अदालत स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है ।

*****